

संख्या-3ए-3-वे०पु०-(भत्ता)-08/2013-4729-वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:- 25/05/2015

विषय:- राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक- 01/01/2015 के प्रभाव से 107 प्रतिशत के स्थान पर 113 प्रतिशत मंहगाई राहत की स्वीकृति ।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-9556, दिनांक- 17/10/2014 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2014 के प्रभाव से 107 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप- 42/10/2014-P&PW(G), दिनांक 27/04/2015 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/01/2015 के प्रभाव से मंहगाई राहत की दर को 107 प्रतिशत से बढ़ाकर 113 प्रतिशत किया गया है ।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि-

- (i) राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- 01/01/2015 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन में 107 प्रतिशत के स्थान पर 113 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत का भुगतान किया जायेगा ।
- (ii) मंहगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जायेगा ।
- (iii) मंहगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।
- (iv) उपर्युक्त मंहगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा ।
- (v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना /अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा ।

4. पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है । औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी ।

5. पेंशनभोगियों को इस मंहगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है । कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें । बिहार राज्य के बाहर मंहगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय ।

6. दिनांक-01/01/2015 के प्रभाव से स्वीकृत मंहगाई राहत भुगतान करते समय पूर्ववर्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जांच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी ।

आदेश-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(दया निधान पाण्डेय)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

झापांक:-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-4729-वि० पटना, दिनांक:-25/05/2015

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(दया निधान पाण्डेय)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-3-चै०पु० (भत्ता)-08/2013-4729-वि० पटना, दिनांक:-25/05/2015

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, विभाग/अपर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(दया मिथाम पाण्डेय)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

**बिहार सरकार
कृषि विभाग**

ज्ञापांक-3 कृ०-बजट-विविध-07/2014 3127 /कृ०, पटना, दिनांक: - 25/6/2015

Fax/Mail

प्रतिलिपि :-कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान/निदेशक भूमि संरक्षण/ निदेशक पी०पी०एम०/ सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/ नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर/ सभी जिला कृषि पदाधिकारी /सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी /सभी सहायक निदेशक (शष्य) बीज बीश्लेषण प्रयोगशाला/ सभी उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/उप निदेशक (शष्य) शिक्षा, बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) तेलहन बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) सूचना बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) पाट कृषि निदेशालय बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट बिहार, पूर्णियाँ/ अपर निदेशक (शष्य) कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण)/ सभी सहायक निदेशक, (पौधा संरक्षण)/ सभी उप निदेशक (पौधा संरक्षण)/ संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण)/उप निदेशक (रसायन) कम्पोस्ट बिहार, पटना/सभी सहायक निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला/उप निदेशक (शष्य) प्रसार-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि निदेशालय/सहायक सांख्यिकीज्ञ-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि विभाग/लेखा पदाधिकारी कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विश्वासभाजन

(15) 24/6/15

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3127

/कृ०, पटना, दिनांक: - 25/6/2015

प्रतिलिपि :- अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक- 3127

/कृ०, पटना, दिनांक: - 25/6/2015

प्रतिलिपि :- उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई-टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव,

आपांक:-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-4729-वि० पटना, दिनांक:-25/05/2015

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(दया निधान पाण्डेय)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

आपांक:-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-4729-वि० पटना, दिनांक:-25/05/2015

प्रतिलिपि:-सहायक महाप्रबंधक (सरकारी व्यवसाय विभाग), स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्थानीय प्रधान कार्यालय पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, केनरा बैंक, एक्जीक्यूशन रोड, (लव कुश टॉवर), पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मौर्या लोक कम्प्लेक्स, ब्लॉक-ए, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, यू०को० बैंक, मौर्या लोक कम्प्लेक्स, ब्लॉक-ए, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, बुद्ध मार्ग, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, चाणक्या प्लेस, आर ब्लॉक, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, श्री राम भवन, पाम ट्री के सामने, पटना/रिजिनल मैनेजर, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, फेजर रोड, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(दया निधान पाण्डेय)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

आपांक:-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-4729-वि० पटना, दिनांक:-25/05/2015

प्रतिलिपि:-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधानसभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मँहगाई राहत की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधानसभा/ सभापति, बिहार विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाय ।

ह०/-

(दया निधान पाण्डेय)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।